Incomplete

प्रथम आवंटन
लेखाशीर्षक--2515007890327

ज,उ0प्र0।

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:–1/शा0/18/2011–1/27/2011, लखनऊ दिनॉक 29 अप्रैल, 2011

विषय:–केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान–83 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के शासनादेश संख्या–381/26–ब0प्र0–2011–100(12)/2011, दिनॉक 19 अप्रैल, 2011 के क्रम में संशोधित शासनादेश संख्या–415/26–ब0प्र0–2011–100(12)/2011, दिनॉक 25 अप्रैल, 2011 अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 4337.04 लाख में से 25 प्रतिशत की धनराशि ₹ 1084.26 लाख (₹ दस करोड़ चौरासी लाख छब्बीस हजार मात्र) संलग्न सूची में उल्लिखित जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को जिला पंचायत राज अधिकारियों के निस्तारण पर शासनादेश संख्या–381/26–ब0प्र0–2011–100(12)/2011, दिनॉक 19 अप्रैल, 2011 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–901/दस–2011–231/11, दिनॉक 21–03–2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/ जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परिक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

5– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा। उक्त धनराशि का शतप्रतिशत व्यय केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए ही किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि का उपयोग/व्यय किसी भी दशा में सामान्य व अन्य बी0पी0एल0 लाभार्थियों के लिए नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2011–12 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक व्यय हो सके तथा केन्द्रांश प्राप्त होने की दशा में ही किया जायेगा।

7– **जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।**

8– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयो का निर्माण –27– सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

83 Allot. TSC PLAN 19-04-2010 Sp.in

9— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त वित्त संशाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए- 934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

10— किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, वाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूप पत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11— आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नही की जाएगी।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रुपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायगा।

13— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्ययन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।
2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30–9–2011 तक
3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–1–2012 तक
4— वर्ष 2011–12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5–2–2012 तक

14— प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–5 पर अंकित है।

संलग्न–उक्तवत्।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या:–1/शा0/18/2011, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, लेखा आडिट (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
3— प्रमुख सचिव पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0।
6— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।
7— उपनिदेशक (पं0) (प्रथम) पंचायतीराज, निदेशालय उ0प्र0।
8— विशेष सचिव वित्त ((व्यय–नियंत्रण) अनु0 -3/वित्त बजट अनु0–2 उ0प्र0शासन।
9— विशेष सचिव समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन।
10— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक,
पंचायती राज, उ0प्र0

TSC PLAN 10-04 2010 Sp.la

Incomplete

पत्र संख्या–1/शा/18/2011–1/27/2011, दिनांक 29 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2011-12 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं का आवंटन

(विशेष प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-83 *(धनराशि लाख ₹ में)*

क्र0सं0	जनपद का नाम	अवमुक्त हेतु आवंटन धनराशि	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5
1	मेरठ	5.64	5.64	5.64
2	बागपत	3.80	3.80	3.80
3	गाजियाबाद	3.04	3.04	3.04
4	गौतमबुद्धनगर	3.47	3.47	3.47
5	बुलन्दशहर	2.17	2.17	2.17
6	सहारनपुर	6.07	6.07	6.07
7	मुजफ्फरनगर	4.66	4.66	4.66
8	आगरा	5.64	5.64	5.64
9	अलीगढ़	5.53	5.53	5.53
10	हाथरस	3.36	3.36	3.36
11	एटा	1.41	1.41	1.41
12	मैनपुरी	5.96	5.96	5.96
13	मथुरा	3.90	3.90	3.90
14	फिरोजाबाद	3.15	3.15	3.15
15	कांशीरामनगर	4.88	4.88	4.88
16	बरेली	7.81	7.81	7.81
17	बदायूं	5.21	5.21	5.21
18	पीलीभीत	10.08	10.08	10.08
19	शाहजहांपुर	15.94	15.94	15.94
20	मुरादाबाद	11.49	11.49	11.49
21	जे0पी0 नगर	14.21	14.21	14.21
22	रामपुर	14.64	14.64	14.64
23	बिजनौर	18.22	18.22	18.22
24	लखनऊ	37.84	37.84	37.84
25	रायबरेली	14.86	14.86	14.86
26	हरदोई	125.99	125.99	125.99
27	उन्नाव	41.31	41.31	41.31
28	सीतापुर	91.19	91.19	91.19
29	लखीमपुर खीरी	15.61	15.61	15.61
30	फैजाबाद	9.65	9.65	9.65
31	अम्बेडकर नगर	11.17	11.17	11.17
32	सुल्तानपुर	12.69	12.69	12.69
33	बाराबंकी	37.52	37.52	37.52
34	गोण्डा	9.43	9.43	9.43
35	बलरामपुर	3.69	3.69	3.69
36	बहराइच	15.94	15.94	15.94
37	श्रावस्ती	6.62	6.62	6.62
38	इलाहाबाद	13.99	13.99	13.99

क्र0सं0	जनपद का नाम	अवमुक्त हेतु आवंटन धनराशि	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5
39	कौशाम्बी	11.93	11.93	11.93
40	फतेहपुर	6.94	6.94	6.94
41	प्रतापगढ़	5.21	5.21	5.21
42	वाराणसी	2.71	2.71	2.71
43	चन्दौली	6.72	6.72	6.72
44	गाजीपुर	9.87	9.87	9.87
45	जौनपुर	29.17	29.17	29.17
46	मिर्जापुर	47.17	47.17	47.17
47	सोनभद्र	126.75	126.75	126.75
48	संतरविदासनगर	2.60	2.60	2.60
49	हमीरपुर	9.33	9.33	9.33
50	बांदा	14.64	14.64	14.64
51	चित्रकूट	10.19	10.19	10.19
52	महोबा	5.75	5.75	5.75
53	गोरखपुर	16.48	16.48	16.48
54	महाराजगंज	8.89	8.89	8.89
55	देवरिया	3.90	3.90	3.90
56	कुशीनगर	9.11	9.11	9.11
57	बस्ती	7.05	7.05	7.05
58	संतकबीर नगर	7.92	7.92	7.92
59	सिद्धार्थनगर	4.66	4.66	4.66
60	आजमगढ़	39.50	39.50	39.50
61	मऊ	17.35	17.35	17.35
62	बलिया	7.92	7.92	7.92
63	कानपुर नगर	7.05	7.05	7.05
64	कानपुर देहात	12.69	12.69	12.69
65	फर्रूखाबाद	7.05	7.05	7.05
66	कन्नौज	3.25	3.25	3.25
67	इटावा	11.71	11.71	11.71
68	औरैया	11.80	11.80	11.80
69	झांसी	2.61	2.61	2.61
70	ललितपुर	4.12	4.12	4.12
71	जालौन	4.44	4.44	4.44
	योग-	1084.26	1084.26	

(₹ दस करोड़ चौरासी लाख छब्बीस हजार मात्र)

(ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक,
पंचायती राज, उ0प्र0।